

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 36/2024

प्रार्थी : -

राजस्थान राज्य जरिए विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरौही।
2. श्री भाणा पुत्र श्री धनाजी निवासी वासडा के कायम मुकाम-
 - 2.1 श्रीमती बीना पत्नि स्व. श्री भाणाराम निवासी वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरौही।
 - 2.2 श्री अमृतलाल पुत्र स्व. श्री भाणाराम निवासी वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरौही।
 - 2.3 श्री कलाराम पुत्र स्व. श्री भाणाराम निवासी वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. सहायक विकास अधिकारी सिरौही, जिला परिषद सिरौही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री धन्नाराम रेबारी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।



निर्णय

दिनांक 09.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 464.511 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम रेबारी ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जबाव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल गिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि विरुद्ध पट्टा संख्या 31 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 464.511 वर्गफीट का नियम 157(2) राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत वासडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में निःशुल्क विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 27.06.2017 के प्रस्ताव संख्या 02(15) लिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत से प्राप्त सूचना अनुसार अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा बिना किसी विधिक कार्यवाही यथा भूमि विक्रय पत्रावली संधारित किए बिना ही जारी कर दिया गया, जबकि ऐसे किसी विक्रय विलेख जारी करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विहित प्रक्रिया अपना कर पत्रावली संधारित करने के पश्चात ही पट्टा जारी किया जाता है। इस प्रकार सरपंच एवं सचिव द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए

28

जिला कलक्टर, सिरौही

अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध एवं दोषपूर्ण है। यह है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा किसी प्रकार की आवेदन एवं मौका नक्शा के शुल्क की राशि पंचायत कोष में जमा नहीं करवाई गई है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय नियमानुसार पत्रावली संधारित नहीं की गई है, जिससे प्रक्रियात्मक त्रुटि की विस्तृत विवेचना नहीं की जा सकी। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पूर्ण अवहेलना कर उक्त पट्टे को विधि विरुद्ध जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम के लायक अधिवक्ता श्री धन्नाराम रेबारी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित करने में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ग्राम पंचायत वासडा को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार होने से उक्त प्रस्ताव विधि अनुसार पारित किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत वासडा ने जो पट्टा जारी किया गया है वो किसी सरकारी भूमि या आम निलामी के विषय का नहीं है। प्रश्नगत पट्टा की भूमि अप्रार्थी संख्या दो एवं उसके पूर्वरसाधिकारी की पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की करीब 40 से 50 वर्ष पुरानी भूमि है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं इसी अधिनियम के तहत बने नियम 1996 के अनुसार जारी किया हुआ है, उस पर ग्राम सेवक/पदेन सचिव के हस्ताक्षर, नापजोख व संकल्प संख्या व दिनांक का हवाला है। यह कि प्रार्थी निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत निगरानी अप्रार्थीगण के विरुद्ध तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत वासडा एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों में अनियमितताओं को आधार बनाकर पेश की है, किसी अविधिकता के आधार पर नहीं। जिसके लिए अप्रार्थी संख्या एक सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी जवाबदेह है अप्रार्थी संख्या दो पट्टाधारक नहीं। यह कि अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम पंचायत वासडा को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित नियमानुसार लिखित में प्रार्थना-पत्र आबादी भूमि में स्थित पुश्तैनी कब्जे भोगवटे व मालिकी के मकान का पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था तथा प्रार्थना-पत्र शुल्क अदा कर शुल्क जमा की रसीद प्राप्त की थी। यह कि प्रार्थी द्वारा असत्य, बनावटी व गलत कथनों के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत आवेदन शुल्क मात्र 20/- रुपये, मौका निरीक्षण शुल्क मात्र 25/- रुपये एवं नक्शा शुल्क मात्र 25/- रुपये कुल 70/- रुपये ही निर्धारित है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वासडा ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व नियमानुसार मिसल का संधारण किया था और उसी अनुसार ही पट्टा जारी किया गया है। यह कि नियम 148 के परन्तुक के अनुसार (राजस्व अभियान या प्रशासन गांव के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिए राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय) आक्षेपों की आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक मास के स्थान पर सात दिवस की होगी। राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम 2017 अधिसूचना सं. एफ 4 (7) अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर. /2017/289 जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग (ग) (प) में दिनांक 12.04.2017 को प्रकाशित द्वारा नियम 148 के परन्तुक में विद्यमान शब्द राजस्व अभियान या प्रशासन गांव के संग अभियान के समय के स्थान पर उपरोक्त शब्द प्रतिस्थापित किये गये। अतः ग्राम



जिला कलेक्टर, बिरोही

पंचायत वासडा द्वारा की गई पट्टे की समस्त कार्यवाही विधि अनुसार सही एवं नियमों के तहत है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभौति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 31 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 464.511 वर्गफीट ग्राम पंचायत वासडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुसार—

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत वासडा द्वारा दिनांक 27.06.2017 को प्रस्ताव संख्या 02(15) पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया था। प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में बिना किसी विधिक कार्यवाही यथा भूमि विक्रय पत्रावली संधारित किए बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि ऐसे किसी विक्रय विलेख जारी करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विधिक प्रक्रिया अपना कर पत्रावली संधारित करने के पश्चात ही पट्टा जारी किया जाता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बाद की समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर पर ही सम्पन्न की गई है और उक्त विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विधिक प्रक्रिया की पालना किए जाने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही था और ग्राम पंचायत वासडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित विधिक प्रक्रिया नियम 145 से 149 की पालना नहीं किया जाना भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई भूल कारित किया जाना पाया जाता है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे



है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत वासडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी करते समय नियमानुसार पत्रावली का संधारण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पट्टा जारी करने से सम्बन्धित पत्रावली संधारण करने का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है और ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पत्रावली का संधारण नहीं किए जाने के कारण पट्टे को निरस्त करना पट्टाधारक के सुखाधिकारों का हनन होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत महिला मुखिया के नाम से पट्टा जारी किए जाने का प्रावधान है, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत वासडा द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या दो (पुरुष) के हक में जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत वासडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 12.07.2017 क्षेत्रफल 464.511 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत वासडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नियमानुसार नए सिरे से पुनः पट्टा जारी करें।

निर्णय सरे इजलारा सुनाया गया ।



अल्पा चौधरी
(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही